THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) No final decision as yet has been taken in the matter.

Setting up of a Eastern Region Load Despatch Centre in Calcutta

8923. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the International Development Agency is helping to set up a Rs. 7.2 crore Eastern Region Load Despatch Centre in Calcutta to ensure smooth operation of electricity systems in the region;

(b) if so, whether there is any proposal to set up such a Centre in other regions also; and

(c) if not, how the smooth operation of electricity systems in Western, Southern and Northern regions is going to be ensured?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) Government has decided to establish the Eastern Regional Load Despatch Centre at Calcutta. The revised project cost is around Rs. 768.59 lakhs. Certain equipment for this Centre is being procured under IDA Credit.

(b) Five Regional Load Despatch Centres are being established, namely, Northern, Western, Southern, Eastern and North-Eastern Regions.

(c) Does not arise.

Special Courts for Summary Trial of Communal Offences

8924. SHRI RAJASHEKHAR KOLUR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to bring legislation before Parliament for setting up of special courts for summary Trials of communal offences; and

(b) if so, the broad features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). Provision already exists in the Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976 for the constitution of Special Courts for trying communal offences. The Special Courts are also authorised to conduct summary trials in certain cases. There is, therefore no proposal to bring any fresh legislation in this regard.

Listening of short wave Programme

8925. SHRI KUDANTHAI N. RAMALINGAM: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there are any DX Club in India and if so, whether the All India Radio is associated with any of them; and

(b) whether the Ministry of Information and Broadcasting has any plan to promote the hobby of short wave listening in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI JAGBIR SINGH): (a) There are some DX Clubs functioning in India. All India Radio is neither a member of any DX Club nor is it directly associated with any such Club. However, one such Club viz. Indian DX Club International with its headquarters at Calcutta is in touch with All India Radio.

(b) No, Sir. Since DXing is basically an individual enterprise, more direct involvement of a broadcasting organisation is neither desirable nor necessary.

आकाशवाणी में असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति

8926. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रोग्राम सेक्रेटरीज की अर्हताएं क्या हैं जिनको पदोन्नति के आधार पर असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बनाया गया था और वे किन कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं;

(ख) क्या असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सीधी भरती में इन व्यक्तियों को रद्द कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार भविष्य में असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समाप्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगवीर सिंह) : (क) जिन प्रोग्राम सचिवों को पदोन्नति के आधार पर सहायक केन्द्र निदेशक बनाया गया था, उनके नाम और उनकी शैक्षिक अर्हताएं विवरण में दी गई हैं ।

विभागीय पदोन्नति कोटे में सहायक केन्द्र निदेशकों के पदों के भर्ती नियमों में, किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है । तथापि, सहायक केन्द्र निदेशक के ग्रेड में पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र बनने से पहले इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा निचले ग्रेडों में की गई सेवा की न्यूनतम अवधि से वे अपने कार्यक्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं/कर सकें ।

(ख) प्रश्नास्पद 14 व्यक्तियों में से, छः व्यक्तियों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1976 में सहायक केन्द्र निदेशक के पदों के लिए की गई सीधी भर्ती में उक्त पदों के लिए आवेदन किया था ; इन छः व्यक्तियों में से कोई भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर सीधे भर्ती के लिए तैयार की गई चयन तालिका में स्थान नहीं पा सका ।

(ग) आकाशवाणी में सहायक केन्द्र निदेशक के पदों के वर्तमान भर्ती नियमों के अन्तर्गत, 75 प्रतिशत पद संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और शेष 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा । भर्ती की ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे से भिन्न हैं और यह बात कि कतिपय उम्मीदवार सीधे भर्ती किए जाने वालों की चयन तालिका में स्थान नहीं पा सके, उनकी विभागीय पदोन्नति के कोटे में पदोन्नति के लिए विचार नहीं करती । यह पद्धति न केवल आकाशवाणी के सहायक केन्द्र निदेशक के पदों पर ही लागू होती है, अपितु भारत सरकार के ऐसे सभी पदों पर लागू होती है जो सीधी भर्ती द्वारा और विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं ।

भविष्य में सहायक केन्द्र निदेशक के पद के लिए विभागीय पदोन्नति को समाप्त करने का सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।